राजस्व अज–78

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

(सिटी पॉवर हाउस, हाथी भाटा, अजमेर 0145–2631575)

मु.ले.अ./अ.वि.वि.नि.लि/ व.ले.अ. /राजस्व/ **F.NO.25-3** / प्रे. 2959 दिनांक 28-11-07

परिपत्र

वर्तमान में केन्द्रीय कम्प्युटरीकृत बिलिंग एजेन्सी में प्राप्त M.B.11 का अवलोकंन करने पर पाया गया कि संबधित उपखण्ड के सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा अभिकर्ता के द्वारा बदले गये विद्युत मीटरो से की सूचना फार्म M.F-3A में भर कर नही भेजा जाता है लेकिन बदले हुए मीटर की रीडिंग M.B.11 में दर्शायी जा रही है । जिसकी वजह से बिलिंग करवाने में कठिनाई हो रही है, साथ ही राजस्व हानि व उपभोक्ता को अनावश्यक कठिनाई हो रही है ।

वर्तमान में फीडर रिनावेशन के कार्यकम के तहत मीटर बदलने का कार्य तीव्र गति से प्रत्येक उपखण्ड में सम्पादित किया जा रहा है। जिसको CRC और T.W ठेकेदारो द्वारा गति प्रदान की जा रही है इसी गति से संबधित सहायक राजस्व अधिकारी लिपिक व कनिष्ठ अभियन्ता को सचेत रहकर आवश्यक रूप से M.F-3A व MCO बदलने के आदेश की पूर्ति कर भिजवाया जाना अतिआवश्यक है। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि M.F-3A निर्धारित समय पर उपलब्ध हो सके। संबंधित अभिकर्ता संशोधित फार्म न. M.F-3A (संलग्न है) में विवरण भरकर उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर बदले हुए मीटर जमा करते समय उतारे गये मीटरो की रीडिंगो का संबधित कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमाणिकरण करवाकर प्रति सप्ताह उपरोक्त दर्शित संशोधित M.F-3A के फोरमेट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें।

संबधित सहायक अभियन्ता / सहायक राजस्व अधिकारी / रेवेन्यू इन्चार्ज उपरोक्त विवरण प्राप्त होने पर संबधित ग्रुप में अनुरूप M.F-3A में विवरण भरकर केन्द्रीय कम्प्युटरीकृत बिलिंग समन्वय सैल में प्रस्तुत करेगें एवं साथ में यह भी सुनिश्चित करेगें कि जिन उपभोक्ताओं कें नये मीटर के अनुरूप रीडिंग दर्शाई गई है उनके M.F-3A साथ संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबधित सहायक राजस्व अधिकारी/लेजर कीपर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

मींटिग के दौरान यह भी ध्यान में लाया गया कि अपवाद रिपोर्ट (Exceptional Reports) जो कि सामान्यतया बिलो के साथ संबधित उपखण्ड को भेजी जाती है । उस पर विस्तृत विवेचना उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी / राजस्व इन्चार्ज द्वारा नही की जाती है जबकि उक्त रिपोर्ट (Exceptional Reports) बिल प्राप्त होते ही देखी जानी चाहिए व अगर बिंलिग में कोई त्रुठि रह गयी है तो बिल उपभोक्ता को भेजने से पूर्व संबधित सहायक राजस्व अधिकारी / राजस्व इन्चार्ज संशोधित बिल उपभोक्ता को प्रेषित करे व इसकी सूचना केन्द्रीय कम्प्यूठरीकृत बिंलिग समन्वय सैल को संबधित फारमेट CB-15/CB-4 के माध्यम से सूचित करें। प्रतिमाह इसके साथ साथ संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) वह अपवाद रिपोर्ट (Exceptional Reports) का अपने स्तर पर अवलोकन करें एवं यह सुनिश्चित करें कि माहवार अपवाद रिपोर्ट (Exceptional Reports) में दर्शाई गई अनियमितताओं/ खामियों में कमी आनी चाहिए एवं जिस उपखण्ड में प्रगति न पाई जाये उस उपख्ण्ड के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही की जाय। इस संबंध में संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) द्वारा संबधित सहायक राजस्व अधिकारी /लेजर कीपर की मीटिंग रखकर उचित दिशा निर्देश प्रदान करें।

मीटिंग के दौरान यह ध्यान में लाया गया कि कुछ उपभोक्ता जिनकी contract demand 50 KVA से उपर रिकार्ड हो रही है एवं उपभोक्ता निगम द्वारा स्थापित ट्रांसफोरमर से विद्युत प्राप्त कर रहे है उन

उपभोक्ताओं की TCOS के नियमानुसार संबधित सहायक अभियन्ता अग्रिम कार्यवाही कर H.T. Metering में परिवर्तित करें।

मीटिंग के दौरान यह भी ध्यान में लाया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने contract demand ले रखी है उनकी कोड संख्या गलत दर्शा रखी है उनका टेरिफ कोड संशोधित कराया जावे। जिससे बिलिंग सही करवायी जा सके। इस तरह के उपभोक्ताओं की सूची संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) प्रेषित करेगें। जिसका अवलोकन कर संबधित पक्ष उचित कार्यवाही करे।

(एस.एम.माथुर)
मुख्य लेखाधिकारी
अ.वि.वि.नि.लि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक (वित्त), अजमेर डिस्काम, अजमेर।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व), अजमेर डिस्काम, अजमेर / झुंझुनू / उदयपूर को सुचनार्थ एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर डिस्काम [redacted] / को उपरोक्त पत्र की प्रति संबधित अधिकारियों / ठेकेदारो को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।
4. निजी सहायक, अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्काम, अजमेर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अवलोकनार्थ।
5. लेखाधिकारी (पवस) अजमेर डिस्काम,..
6. अधिशाषी अभियन्ता (..................) अजमेर डिस्काम ....को 4 प्रति अतिरिक्त उनके अधिनस्थ सहायक अभियन्ताओं के लिए प्रषित कर पालना सुनिश्चित करावें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व)
28/11

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED, AJMER

METER CHANGE FORMATE FOR CONTRACTOR

NAME OF SUB DIVISION

S.No.	Date of change	Binder No.	Account No.	Name of consumer	Village Locality	New Meter No.	Amp. Rating	Type of meter (KWH/KVAH/KVA)	Meter phase	Manufactuerer	No. of digits	Initial reading	Particular of removed meter			Signature of consumers
													Old meter No.	Final Reading	Meter status (Normal/ Stopped/defective)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

Reading verified

Signature of AEN/JEN **Signature of Contractor**

148

125